यहनिरीक्षणप्रतिवेदन **कार्यालय,पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय, देहरादून**द्वाराउपलब्ध करायीगयीसूचना के आधारपरतैयारकियाहै।कार्यालयाध्यक्ष द्वाराउपलब्ध करायीगयीकिसी त्रुटिपूर्णअथवा अधूरीसूचना के लिए कार्यालय,महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़,देहरादून की कोईजिम्मेदारीनहींहोगी।

कार्यालय,पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय, देहरादून10/2013 से 05/2018तक के लेखा अभिलेखोंकी लेखापरीक्षाश्रीललितथपलियाल,सहायकलेखापरीक्षा अधिकारी,श्रीपवन कोठारी,सहायकलेखापरीक्षा अधिकारी एवंश्रीरवीन्द्र जयंत,वरिष्ठलेखापरीक्षक द्वारादिनांक07.06.2018 से 13.06.2018 तकश्रीआर. एस. नेगी-1,वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षणमेंसम्पादितकी गयी।

भाग–प्रथम

1. परिचयात्मक–इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री टी.एस. नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी,एवं श्री विजय कुमार ,वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनाँक 08/10/2013 से 14/10/2013 तक सम्पन्न की गयी थी, जिसमे माह 04/2008 से 09/2013 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।
वर्तमानलेखापरीक्षा मेंमाह10/2016से 05/2018 तकके लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के कियाकलाप एवंभौगोलिकअधिकार क्षेत्र–समस्तउत्तराखण्ड

(ii)(अ)विगततीनवर्षोंमेंबजटआवटन एवं व्यय की स्थितिनिम्नवृतहैः–

(रू लाख में)

	प्रारम्भिकअवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य (+)	बचत(–)
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015–16	-	-	2346.6	1906.6	167.51	141.8		
2016–17	-	-	2255.00	2130.6	263.91	253.8		
2017–18	-	-	2192.14	2130.6	637.77	579.15		
2018-19 (मई 2018 तक)	-	-	2151	491.63	157.48	33.28		

(**ब**)Autonomous Bodiesविगततीनवर्षोंमेंबजटआवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स)केन्द्रपुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गतप्राप्तनिधि एवं व्यय विवरणनिम्नवत् हैः–

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिकअवशेष	प्राप्त	व्ययआधिक्य(+)	बचत(–)
.....शून्य.....					

(iii)इकाईकोबजटआवंटनराज्य सरकार द्वाराकियाजाताहै।गैरस्थापना व्यय कोसम्मिलित न करतेहुयेइकाई"**बी**"श्रेणी की है।विभाग का संगठनात्मकढांचानिम्नवत् हैः

अपर पुलिस महानिदेशक (अधिसूचना/सुरक्षा)
पुलिस उपमहानिरीक्षक (अधिसूचना/सुरक्षा)
पुलिस अधीक्षक (अधिसूचना/सुरक्षा)
पुलिस उप अधीक्षक (अधिसूचना/सुरक्षा)

(iv)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवंलेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में**कार्यालय,पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय, देहरादून**की लेखापरीक्षा मेंलेन–देन–कम–अनुपालकोआच्दादितकियागया।समस्त स्वाधीनआहरण एवंवितरणअधिकारियों के निरीक्षणप्रतिवेदनपृथक–पृथकजारीकियेजारहेहै। यह निरीक्षणप्रतिवेदन**कार्यालय,पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय, देहरादून**की लेखापरीखा मेंपायेगयेनिष्कर्षोंपरआधारितहै।माह03/2015,03/2016**,** 03/2017,एवं03/2018 कोविस्तृतजांचहेतुचयनितकियागया।

(v)लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीनबनायेगयेभारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के(कर्तव्य, शक्तियांतथासेवा शर्ते) अधिनियम,1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथालेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथालेखापरीक्षणमानकों के अनुसारसम्पादित की गयी।

भाग दो "ब"

प्रस्तर 1 :- ₹ 28.25 लाख में खरीद की गयी बुलेट प्रूफ़ टाटा सफारी वाहन विगत 10 वर्षों से अप्रयुक्त रखना ।

अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2007 में पुलिस मुख्यालय द्वारा ₹ 28.25 लाख में खरीद की गयी बुलेट प्रूफ टाटा सफारी UK 07 GA 0640 जो कि वर्ष 2008 से अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय को आबंटित की गयी, जो कि वी. वी. आई. पी. सुरक्षा ड्यूटि हेतु आबंटित की गयी थी, परंतु वाहन में कमियाँ होने के कारण आबंटित होने कि तिथि से ही ऑफ रोड है।

उपरोक्त आपत्ति इंगित करने पर विभाग द्वारा प्रतिउत्तर में बताया गया कि ओबेरॉय मोटर्स माजरा देहरादून को एक बार वाहन को ठीक करने हेतु लिखा गया था (फरवरी 2013)।

प्रकरण पुलिस मुख्यालय के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में इस आशय से लाया जाता है कि बिना उपयोग खरीद पर ज़िम्मेदारी तय करने के साथ ही वाहन के निस्तारण की शीघ्र कार्यवाही पूर्ण करके लेखापरीक्षा को अवगत कराएं।

भाग-II'ब'

प्रस्तर2 :- ₹32,71,880 की खरीद मूल्य के निष्प्रयोज्य वाहनों की लंबित नीलामी के संबंध में।

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 196 के अनुसार "Disposal of Goods: (i) An item may be declared surplus or obsolete or unserviceable if the same is of no use to the Ministry or Department. The reasons for declaring the item surplus or obsolete or unserviceable should be recorded by the authority competent to purchase the item. (ii) The competent authority may, at his discretion, constitute a committee at appropriate level to declare item(s) as surplus or obsolete or unserviceable." तथा नियम 197 में निष्प्रयोज्य वस्तुओं के disposal के संबंध में वर्णन है कि " Modes of disposal : (i) Surplus or obsolete or unserviceable goods of assessed residual value above Rupees Two Lakh should be disposed of by : (a) obtaining bids through advertised tender or (b) public auction, and (ii) For surplus or obsolete or unserviceable goods with residual value less than Rupees Two Lakh, the mode of disposal will be determined by the competent authority, keeping in view the necessity to avoid accumulation of such goods and consequential blockage of space, and, also deterioration in value of goods to be disposed of. "

कार्यालय की निष्प्रयोज्य वाहनों की जांच के दौरान पाया गया कि 6 चौपहिया वाहन तथा 11 दोपहिया वाहन कार्यालय में निष्प्रयोज्य अवस्था में थे , जिनका कुल खरीद मूल्य ₹32,71,880 था (₹28,50,134-चौपहिया वाहन हेतु तथा ₹4,21,746-दोपहिया वाहन हेतु)-सूची संलग्न।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि कंडम की कार्यवाही प्रचलित है तथा कार्यवाही पूर्ण होने पर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II'ब'

प्रस्तर3 :- ₹45.70 लाख का लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना

गुप्त व्यय से संबन्धित मामलों में वित्तीय हस्तपुस्तिका लेखानियम खंड 5 भाग 1 के पैरा 206 के अनुसार स्तम्भ 1 के मामलों में दिये गए अनुप्रमाणित अधिकारी प्रत्येक वर्ष में एक बार स्तम्भ 2 में दिये गए अधिकारी द्वारा नियत व्यय का ऑडिट किया जाए तथा निम्न वर्ष जिससे वह संबन्धित है 31 दिसंबर से पूर्व महालेखाकार को विहित प्रारूप में महालेखाकार को एक प्रमाण पत्र अग्रेषित किया जाए।

कार्यालय के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि 2015-16 से 2017-18 तक गुप्त सेवा मद में निमन्वत व्यय किया गया :-

वर्ष	**व्यय धनराशि (₹ लाख)**
2015-16	7.50
2016-17	19.10
2017-18	19.10
योग	**45.70**

उपरोक्त धनराशि के गुप्त सेवा मद में व्यय के सापेक्ष लेखापरीक्षा का प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा ईकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर उत्तर दिया गया कि गुप्त व्यय में प्राप्त धन को अभिसूचना एवं सुरक्षा के दृष्टिगत उपयोगी तरीके से व्यय किया जाता है, ताकि राज्य का सुरक्षा तंत्र मजबूत रह सके। तथा इसका रखरखाव सही तरीके से किया जाता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार गुप्त व्यय मद में प्राप्त धनराशि का वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगतनिरीक्षणप्रतिवेदनों के अनिस्तारितप्रस्तरों का विवरण–**शून्य**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–2 'अ' प्रस्तरसंख्या	भाग–2 'ब' प्रस्तरसंख्या	STAN

विगतनिरीक्षणप्रतिवेदनों के अनिस्तारितप्रस्तरों की अनुपालनआख्याः–**शून्य**

निरीक्षणप्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या	अनुपालनआख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग–IV

इकाई के सर्वोतमकार्यः–शून्य

भाग–V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादूनलेखापरीक्षा अवधि मेंअवस्थापनासम्बंधीसहयोगसहितमांगेगयेअभिलेख एवंसूचनाएंउपलब्ध करानेहेतु**कार्यालय,पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय, देहरादून**तथा उनके अधिकारियों एवंकर्मचारियों का आभारव्यक्तकरताहै।
   तथापिलेखापरीक्षा मेंनिम्नलिखितअभिलेख प्रस्तुतनहींकियेगयेः–**माह मार्च 2015 के वाउचर्स कुल ₹ 17376055, मार्च 2016 के वाउचर्स कुल ₹ 41173264, 2015-16 एवं 2016-17 का समर्पण विवरण, नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी की अनुपालन आख्या।**
2. सतत् अनियमिततायेंः– शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि मेंनिम्नलिखितअधिकारियों द्वाराकार्यालयाध्यक्ष का कार्यभारवहनकियागया–

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री गोपाल नाथ गोस्वामी	पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय	8-2-13	2-2-15
2.	श्री अशोक कुमार	अपर पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय	2-2-15	3-10-16
3.	श्री अजय प्रकाश अंशुमान	पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय	3-10-16	6-12-17
4.	श्री वी. विनय कुमार	अपर पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय	6-12-17	वर्तमान तक

लघु एवंप्रक्रियात्मकअनियमितताएंजिनकासमाधानलेखापरीक्षा स्थलपरनहींहोसकाउन्हेंनमूनालेखापरीक्षा टिप्पणी मेंसम्मिलितकर एक प्रति**कार्यालय,पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय, देहरादून**को इस आशय से प्रेषितकरदीजायेगीकिअनुपालनआख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दरसीधेवरिष्ठउपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र कोप्रेषितकरदीजाय।

वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी
लेखापरीक्षा दल–02
शिविर–देहरादून